कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—2422 /FP/UK/ROAD/50755/2020 :देहरादून:दिनांकः 11 अप्रैल, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग—3, उत्तराखण्ड,
शासन।

विषयः—जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.095 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—अपर सचिव, वन अनुभाग—03, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1924/X-3-20/1(216)/2020 दिनांक 31—12—2020।

महोदय,

कृपया वन अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1935/12—1 दिनांक 22.03.2022 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैः—

1. **शर्त संख्या—1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक देय धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0 1,46,400.00 जमा की गई है। **(संलग्न—1)**
2. **शर्त संख्या—2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 6,24,150.00 जमा की गई है। **(संलग्न—2)**
3. **शर्त संख्या—3** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—3)**
4. **शर्त संख्या—4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 7,70,550.00 जमा करने की ऑनलाईन चालान की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—4)**
5. **शर्त संख्या—5** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकारक के पत्र सं0 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधित प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा कर दिया गया है। **(संलग्न—5)**
6. **शर्त संख्या—6** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्नक—6)**
7. **शर्त संख्या—7** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्नक—7)**
8. **शर्त संख्या—8** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्न—8)**
9. **शर्त संख्या—9** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्न—9)**
10. **शर्त संख्या—10** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्न—10)**
11. **शर्त संख्या—11** के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्न—11)**

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या 2422 / FP/UK/ROAD/50755/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के उनके पत्रांक 1935/12—1 दिनांक 22.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक